बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–05.04.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सुखाड़ से निपटने हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति–संलग्न।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि मौसम विभाग के आगामी मॉनसून की दीर्घकालीन पूर्वानुमान माह अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में जारी होने की सम्भावना है, जिससे राज्य में मॉनसून की स्थिति के संबंध में ज्ञात हो सकेगा। आगामी सप्ताह में मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहेगा तथा वज्रपात होने की सम्भावना है।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा पृच्छा की गयी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य के सामान्य औसत वर्षापात का निर्धारण 1200 mm किया गया है जबकि विगत वर्षों में राज्य में औसत वर्षापात 750 mm से 950 mm दर्ज किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मॉनसून की अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक राज्य का औसत सामान्य वर्षापात 1027.6 mm निर्धारित किया गया है। यह औसत सामान्य वर्षापात का निर्धारण प्रत्येक 10 वर्ष पर विगत 30 वर्ष के वर्षापात के आकड़ों के आधार पर किया जाता है। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि विगत 12 वर्षो (2007 से 2018 तक) के वास्तविक वर्षापात के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विगत 12 वर्षो में मॉनसून अवधि के दौरान राज्य में औसत सामान्य वर्षापात को 910 mm दर्ज पाया गया है। मुख्य सचिव द्वारा वास्तविक परिदृश्य में राज्य का औसत सामान्य वर्षापात के आधार पर भविष्य में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

कृषि विभाग

कृषि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि सुखाड़ के मद्देनजर सभी प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान का वितरण किया जा चुका है। कुछ मामले में कृषकों के द्वारा दावा किया गया है, जिसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विगत सालों में राज्य में मॉनसून के विलम्ब से प्रवेश करने के आलोक में धान की लम्बी अवधी की बुआई की तिथि 10 से 12 दिन बढ़ाने हेतु किसानों को जागरूक करने का परामर्श दिया गया। इसके लिए संबंधितों से विचार–विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

मुख्य सचिव द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निदेश दिया गया कि भू–जल स्तर की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाय तथा खराब चापाकलों की मरम्मति यथाशीघ्र की जाय। जहाँ–जहाँ पेयजल संकट हो वहाँ टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाया जाय।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल आयोग, 6ठा एवं 7वां तल, लोकनायक जयप्रकाश भवन, फ्रेजर रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.4.19
(आमोद कुमार शरण)
अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0–07/2014 (खण्ड–II) ...../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

16.4.19
अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0–07/2014(खण्ड–II) ...../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.4.19
अपर सचिव

ज्ञापांक 01/प्रा0आ0–07/2014(खण्ड–II) ......1108....../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–18/4/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.4.19

अपर सचिव

12

E:\2019\Proceeding\CMG 05.04.2019 (01).docx